राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 7(2)कार्मिक / क–2 / 2019 जयपुर, दिनांक : 29.3.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक / क–2 / 75 दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–III के अन्तर्गत सीधी भर्ती में अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12% एवं 21% और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण के प्रावधान अनुसार रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के साथ संलग्न उपाबन्ध–II में सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं, जिसे इस विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 07.08.07 के द्वारा संशोधित किया गया है।

तत्पश्चात राजस्थान अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2008 दिनांक 31.07.09 को पारित हुआ जिसे दिनांक 25.8.09 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत, विशेष पिछडा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देय था। इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2009 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण (रोस्टर) नियम, 2009 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु नये रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये लेकिन डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12810 / 09 जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार में मान. न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम 2008 को स्थगित करते हुए मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.09 एवं 04.11.09 के द्वारा आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जाने के निर्णय के कारण विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किये गये जबकि इसके तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया गया 14 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं हो सका। इस प्रकार अधिसूचना दिनांक 18.09.2009 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए जारी रोस्टर बिन्दु कभी लागू नहीं हुए।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटो और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है । इसी प्रकार

अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के द्वारा विविध सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में राज्य के अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण लम्बवत (vertical) हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के आरक्षण जैसे राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5%, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में 12½% एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण, सभी सेवाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% आरक्षण जिसमें 8% विधवा एवं 2% परित्यक्ता के लिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 2% आरक्षण, कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24.02.88 के अनुसार राज्य सेवा के पदों पर सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 7% आरक्षण, जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत देय है, का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 जारी कर राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती में विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विशेष योग्यजन के लिए रोस्टर से संबंधित निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही जारी किये जाने हैं।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.11.97, 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध–II/उपाबन्ध–II का परिशिष्ठ यथास्थिति एवं अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची–I एवं अनुसूची–II में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर के अतिक्रमण में लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के रूप में संशोधित रोस्टर निर्धारित कर संलग्न उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–II–क अनुसार जारी किया जाता है।

जहां तक पदोन्नति का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची–III एवं अनुसूची–IV में विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभी नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष अपने विभाग में उपर्युक्तानुसार (उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–II–क के अनुसार) रोस्टर पंजिका संधारित करते हुए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : उपाबन्ध-II एवं उपाबन्ध-II-क
(पृ० 3 से 8 तक)

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

16/2019

राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग (लम्बवत) एवं महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/खिलाडियों/अराजपत्रित कर्मचारियों (क्षैतिज) के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर												
क्रम संख्या	अनु0 जाति 16%	अनु0 जनजाति 12%	पिछड़ा वर्ग 21%	अति पिछड़ा वर्ग 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग 10%	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए	महिला वर्ग– 30% (महिला–20% विधवा–8% परित्यक्ता–2%)	भूतपूर्व सैनिक			खिलाड़ियों हेतु 2%	अराजपत्रित कर्मचारी 7%
								राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12½%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.16	0.12	0.21	0.05	0.1	UR-1						
2	0.32	0.24	0.42	0.1	0.2	UR-2						
3	0.48	0.36	0.63	0.15	0.3	UR-3						
4	0.64	0.48	0.84	0.2	0.4	UR-4						
5	0.8	0.6	1.05	0.25	0.5	BC-1	W-1					
6	0.96	0.72	1.26	0.3	0.6	UR-5				Ex-serv.-1		
7	1.12	0.84	1.47	0.35	0.7	SC-1			Ex-serv.-1			
8	1.28	0.96	1.68	0.4	0.8	UR-6						
9	1.44	1.08	1.89	0.45	0.9	ST-1						
10	1.6	1.2	2.1	0.5	1	BC-2	W-2					
11	1.76	1.32	2.31	0.55	1.1	EWS-1						
12	1.92	1.44	2.52	0.6	1.2	UR-7						
13	2.08	1.56	2.73	0.65	1.3	SC-2	Widow-1			Ex-serv.-2		
14	2.24	1.68	2.94	0.7	1.4	UR-8						

15	2.4	1.8	3.15	0.75	1.5	BC-3	W-3					NGE-1
16	2.56	1.92	3.36	0.8	1.6	UR-9			Ex-serv.-2			
17	2.72	2.04	3.57	0.85	1.7	ST-2						
18	2.88	2.16	3.78	0.9	1.8	UR-10						
19	3.04	2.28	3.99	0.95	1.9	SC-3						
20	3.2	2.4	4.2	1	2	BC-4	W-4	Ex-serv.-1		Ex-serv.-3		
21	3.36	2.52	4.41	1.05	2.1	MBC-1						
22	3.52	2.64	4.62	1.1	2.2	EWS-2						
23	3.68	2.76	4.83	1.15	2.3	UR-11						
24	3.84	2.88	5.04	1.2	2.4	BC-5			Ex-serv. 3			
25	4	3	5.25	1.25	2.5	ST-3	Widow-2					
26	4.16	3.12	5.46	1.3	2.6	SC-4	W-5					
27	4.32	3.24	5.67	1.35	2.7	UR-12				Ex-serv.-4		
28	4.48	3.36	5.88	1.4	2.8	UR-13						
29	4.64	3.48	6.09	1.45	2.9	BC-6						NGE-2
30	4.8	3.6	6.3	1.5	3	EWS-3	W-6					
31	4.96	3.72	6.51	1.55	3.1	UR-14						
32	5.12	3.84	6.72	1.6	3.2	SC-5			Ex-serv. 4			
33	5.28	3.96	6.93	1.65	3.3	UR-15						
34	5.44	4.08	7.14	1.7	3.4	BC-7				Ex-serv.-5		
35	5.6	4.2	7.35	1.75	3.5	ST-4	W-7					
36	5.76	4.32	7.56	1.8	3.6	UR-16						
37	5.92	4.44	7.77	1.85	3.7	UR-17						
38	6.08	4.56	7.98	1.9	3.8	SC-6	Widow-3					
39	6.24	4.68	8.19	1.95	3.9	BC-8						
40	6.4	4.8	8.4	2	4	MBC-2	W-8	Ex-serv.-2	Ex-serv.-5	Ex-serv.-6		

6 [handwritten initials]

41	6.56	4.92	8.61	2.05	4.1	EWS-4						
42	6.72	5.04	8.82	2.1	4.2	ST-5						
43	6.88	5.16	9.03	2.15	4.3	BC-9						NGE-3
44	7.04	5.28	9.24	2.2	4.4	UR-18						
45	7.2	5.4	9.45	2.25	4.5	SC-7	W-9					
46	7.36	5.52	9.66	2.3	4.6	UR-19						
47	7.52	5.64	9.87	2.35	4.7	UR-20				Ex-serv.-7		
48	7.68	5.76	10.08	2.4	4.8	BC-10			Ex-serv.-6			
49	7.84	5.88	10.29	2.45	4.9	UR-21						
50	8	6	10.5	2.5	5	ST-6	Divorcee-1				Sports Per.-1	
51	8.16	6.12	10.71	2.55	5.1	EWS-5	Widow-4					
52	8.32	6.24	10.92	2.6	5.2	SC-8	W-10					
53	8.48	6.36	11.13	2.65	5.3	BC-11						
54	8.64	6.48	11.34	2.7	5.4	UR-22				Ex-serv.-8		
55	8.8	6.6	11.55	2.75	5.5	UR-23	W-11					
56	8.96	6.72	11.76	2.8	5.6	UR-24			Ex-serv.-7			
57	9.12	6.84	11.97	2.85	5.7	SC-9						
58	9.28	6.96	12.18	2.9	5.8	BC-12						NGE-4
59	9.44	7.08	12.39	2.95	5.9	ST-7						
60	9.6	7.2	12.6	3	6	EWS-6	W-12	Ex-serv.-3		Ex-serv.-9		
61	9.76	7.32	12.81	3.05	6.1	MBC-3						
62	9.92	7.44	13.02	3.1	6.2	BC-13						
63	10.08	7.56	13.23	3.15	6.3	SC-10	Widow-5					
64	10.24	7.68	13.44	3.2	6.4	UR-25			Ex-serv.-8			
65	10.4	7.8	13.65	3.25	6.5	UR-26	W-13					
66	10.56	7.92	13.86	3.3	6.6	UR-27						

67	10.72	8.04	14.07	3.35	6.7	BC-14				Ex-serv.-10		
68	10.88	8.16	14.28	3.4	6.8	ST-8						
69	11.04	8.28	14.49	3.45	6.9	SC-11						
70	11.2	8.4	14.7	3.5	7	EWS-7	W-14					
71	11.36	8.52	14.91	3.55	7.1	UR-28						
72	11.52	8.64	15.12	3.6	7.2	BC-15			Ex-serv.-9			NGE-5
73	11.68	8.76	15.33	3.65	7.3	UR-29						
74	11.84	8.88	15.54	3.7	7.4	UR-30				Ex-serv.-11		
75	12	9	15.75	3.75	7.5	ST-9	widow-6					
76	12.16	9.12	15.96	3.8	7.6	SC-12	W-15					
77	12.32	9.24	16.17	3.85	7.7	BC-16						
78	12.48	9.36	16.38	3.9	7.8	UR-31						
79	12.64	9.48	16.59	3.95	7.9	EWS-8						
80	12.8	9.6	16.8	4	8	MBC-4	W-16	Ex-serv.-4	Ex-serv.-10	Ex-serv.-12		
81	12.96	9.72	17.01	4.05	8.1	BC-17						
82	13.12	9.84	17.22	4.1	8.2	SC-13						
83	13.28	9.96	17.43	4.15	8.3	UR-32						
84	13.44	10.08	17.64	4.2	8.4	ST-10						
85	13.6	10.2	17.85	4.25	8.5	UR-33	W-17					
86	13.76	10.32	18.06	4.3	8.6	BC-18						NGE-6
87	13.92	10.44	18.27	4.35	8.7	UR-34				Ex-serv.-13		
88	14.08	10.56	18.48	4.4	8.8	SC-14	Widow-7		Ex-serv.-11			
89	14.24	10.68	18.69	4.45	8.9	UR-35						
90	14.4	10.8	18.9	4.5	9	EWS-9	W-18					
91	14.56	10.92	19.11	4.55	9.1	BC-19						
92	14.72	11.04	19.32	4.6	9.2	ST-11						

93	14.88	11.16	19.53	4.65	9.3	UR-36				Ex-serv.-14		
94	15.04	11.28	19.74	4.7	9.4	SC-15				Ex-serv.-14		
95	15.2	11.4	19.95	4.75	9.5	BC-20	W-19					
96	15.36	11.52	20.16	4.8	9.6	MBC-5			Ex-serv.-12			
97	15.52	11.64	20.37	4.85	9.7	ST-12						
98	15.68	11.76	20.58	4.9	9.8	EWS-10	Widow-8					
99	15.84	11.88	20.79	4.95	9.9	SC-16	W-20					
100	16	12	21	5	10	BC-21	Divorcee-2	Ex-serv.-5		Ex-serv.-15	Sports Per.-2	NGE-7

नोट– इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षेतिज आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनु.जाति,, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति. पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या क्षैतिज प्रवर्ग विशेष के लिये पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिये तय किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं.–20 पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित है इसी बिन्द पर महिला एवं भूतपूर्व सैनिक भी आते हैं जो क्षैतिज हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक को 20वां बिन्दु दिया जावे और वह भूतपूर्व सैनिक भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि 20 पदों में 04 महिलाओं के पद बनते हैं और राज्य सेवा में एक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 पद भूतपूर्व सैनिक के बनते हैं। ये चार महिलाऐं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य/अजा/अजजा/पि.व./अति पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।

उपाबन्ध –II- क

8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर

संवर्ग संख्या	प्रारम्भिक भर्ती	प्रतिस्थापन संख्या							
		एक	दो	तीन	चार	पांच	छः	सात	आठ
1	UR	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST
2	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	
3	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST		
4	UR	BC	UR	SC	UR	ST			
5	BC	UR	SC	UR	ST				
6	UR	SC	UR	ST					
7	SC	UR	ST						
8	UR	ST							

टिप्पण–1. 2 से 8 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर, स्तंभ संवर्ग संख्या के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात "L" की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिजीय रूप में।

2. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) प्रवर्ग क्रमशः बिन्दु संख्या 11 एवं 21 (संवर्ग में पदों की संख्या + क्षैतिज प्रतिस्थापन पंक्ति में प्रतिस्थापन बिन्दु) पर प्रतिस्थापन करेगा।

3. संवर्ग के समस्त पद स्तंभ प्रारम्भिक भर्ती के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिन्हित किए जाने हैं जबकि प्रारम्भिक रूप में पद, चिन्हित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे, फिर भी उपर्युक्त टिप्पण संख्या 02 में दर्शाये गये प्रतिस्थापन बिन्दु संख्या 11 एवं 21 जो कि कमशः आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) संवर्ग के लिए चिन्हित होंगे, के अलावा संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिजीय रूप दर्शाया गया है।

टिप्पण– चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है निम्न प्रकार है–

1	UR	Unreserved (अनारक्षित)
2	SC	Scheduled Castes (अनुसूचित जाति)
3	ST	Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
4	BC	Backward Classes (पिछड़ा वर्ग)
5	MBC	More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
6	EWS	Economically Weaker Sections (आर्थिक कमजोर वर्ग)

08